न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

<u>बी0 पी0 नं0 :–341/2026</u>
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–66/2026

1. नितीश कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता–नंदकिशोर यादव
सा0–शिशवा, वार्ड नं0–2, थाना–रघुवंशनगर (बरहरा कोठी) जिला–पुर्णिया
–काराधीन अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

<u>जमानत आदेश</u>

<u>22–06–2026</u>

दिनांक–25.03.2026 से काराधीन अभियुक्त नितीश कुमार का नियमित जमानत आवेदन जो बिहारीगंज थाना काण्ड सं0–66/2026 अन्तर्गत धारा–309(4) बी0एन0एस0 से संबंधित है, आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई घटना कारित नहीं किया जैसा उसके विरूद्व लगाया गया है। आवेदक को गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत दुश्मनो द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है तथा उसकी संलिप्तता को तथाकथित घटना से जोडने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पुलिस पदाधिकारी द्वारा कांड दैनिकी में नही लाया गया। आवेदक तथाकथित घटना वाले दिन घटनास्थल पर नहीं था और न ही उसकी घटना में संलिप्तता है। पुलिस के समक्ष आवेदक का स्वीकारोक्ति बयान न्यायालय में साक्ष्य अधि0 के तहत विचारणीय नहीं है। पुलिस द्वारा सह अभियुक्त नितीश कुमार का स्वीकारोक्ति बयान लेने के पश्चात् धारा–183 बी.एन.एन.एस. अंतर्गत न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज नहीं कराया। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा कोई स्वीकारोक्ति बयान नहीं दिया बल्कि पुलिस ने उसका तीन सादे कागज पर हस्ताक्षर लिया था जिसका पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से स्वीकारोक्ति बयान में प्रयोग किया। आवेदक के पास से चोरी का समान बरामद नहीं किया गया परंतु पुलिस आवेदक को जहा से गिरफ्तार की उसके मामा इंदल के घर से 35,000/– रु जबरन लिया है जो राशि उनकी मामी द्वारा ए.टी.एम. से निकासी की गई थी। आवेदक का टी0आई0 परेड नहीं कराया गया है। आवेदक के विरूद्व 309(4) बी0एन0एस0 के अंतर्गत मामला नहीं बनता है। आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नही है तथा न्यायालय के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने कृपा की जाए।

Satish Kumar
22-06-26

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

–लगातार

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–341 / 2026
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–66 / 2026
–2–

लगातार
22–06–26

–अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि केस के सूचक केशव कुमार शुक्ला जो नया बाजार एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने स्थित इंस्टाकार्ट सर्विस प्रा0 लि0 मे हब इंचार्ज के रूप में कार्यरत है, उसके ऑफिस में दिनांक 27.02.2026 को रात्री करीब 11:19 बजे चार अज्ञात हथियारबद्ध व्यक्ति जिसका उम्र 22 से 26 वर्ष के बीच का होगा वे लोग ऑफिस में घुसकर उपरोक्त तिथि का केश मूल्य 1,84,899 रूपया, 22 शिपमेंट जिसका मूल्य 297472 रूपया (कुल मूल्य 4,82371 रूपया) तथा 19 मोबाइल साथ ही एक वाई0फाई0 राउटर और SDWAN डिवाइस लेकर चला गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा– 309(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार घटना तिथि की रात्रि करीब 11:18 बजे चार अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति Instakart Service Pvt. Ltd. के ऑफिसर (जहॉ सूचक हब इंचार्ज के रूप में कार्यरत था) में घुसकर 1,84,899 रूपया कैश एवं 22 शिपमेंट (कीमत 2,97,472 रूपया) जिसमें 19 मोबाइल साथ ही एक Wi-fi Router और SDWAN डिवाइस था लेकर चला गया।

आवेदक यद्यपि प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है परंतु अनुसंधान के क्रम में आवेदक की संलिप्तता सामने आई है। कांड दैनिकी के पारा–03 में सूचक का बयान है जिसमें सूचक ने कहा है कि आवेदक उसी कार्यालय में डेलिवरी ब्वॉय का कार्य करता था तथा अपने साथ एक अन्य लड़का के साथ बराबर कार्यालय आता था। कार्यालय कर्मी द्वारा उसे साथ लाने का कारण पूछने पर वह टाल मटोल कर शिपमेंट डिलिवरी करने चला जाता था। साथ ही यह भी बताया गया कि घटना के दिन आवेदक कार्यालय नहीं आया तथा बार बार फोन करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया गया जो इसकी संदेहास्पद भूमिका को इंगित करता है। कांड दैनिकी के पारा–30 में आवेदक का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा बताया कि नीतिश कुमार के काले रंग के अपाचे बाइक से अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। उक्त काले रंग की अपाचे बाइक सह अभियुक्त नीतिश कुमार के पास से बरामद की गई है। आवेदक के पास से भी कई सामग्रिया बरामद हुई है जिनकी जब्ती सूची कांड दैनिकी के साथ संलग्न है। प्रथमदृष्ट्या आवेदक की कांड में संलिप्तता प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक की ओर से दाखिल जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है। यद्यपि आवेदक को स्वतंत्रता दी जाती है कि वह चाहे तो आरोप गठन के पश्चात् निम्न न्यायालय में पुनः नवीन जमानत याचिका दाखिल कर सकते है।

लेखापित
Satish Kumar
22.06.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।